न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कुलदीप बनाम इन्द्रा देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
13.10.2023	दावा मु.नं. - 87/2023 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी ने आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण द्वारा बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। वकील वादी के निवेदन व वकील प्रतिवादीगण की सहमति पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 13/10/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) दिलिप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला–नीमकाथाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:10:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
87 / 2023	2023 / 686	22.06.2023	13.10.2023

उनवान प्रकरण

कुलदीप शर्मा दत्तक पुत्र हजारीलाल आयु 32 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी होल्याकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–वादी–

बनाम्

1. इन्द्रा देवी पत्नी स्व0 हजारीलाल
2. मंजू देवी पुत्री स्व0 हजारीलाल
3. लक्ष्मी देवी पुत्री हजारीलाल

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम होल्याकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

––प्रतिवादीगण–

उपस्थित :–

श्री जितेन्द्र कुमार गौड़, एड0 वादी अभिभाषक।

श्री कानाराम पूनियां, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:10:55 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र बाबत् उदघोषणा, [illegible] एवं स्थाई निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955)

13/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1035 रकबा 5.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 1089 रकबा 0.69 हैक्टर, खसरा नम्बर 998 रकबा 1.70 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 7.53 हैक्टर तन् ग्राम होल्याकाबास पटवार हल्का कोटडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में 1/4 हिस्से की वादी के दत्तक पिता हजारीलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज थी तथा वर्तमान मे 1/9, 1/9, 1/9 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 प्रत्येक के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हैं। वादी के दत्तक पिता हजारीलाल के कोई पुत्र जाईन्दा संतान नही थी। इस कारण प्रतिवादी नम्बर 1 व इनके पति स्व0 हजारीलाल ने प्रतिवादी नम्बर 3 के पुत्र वादी जो कि प्रतिवादी नम्बर 1 का दोहिता हैं को दिनांक 02.04.2013 को पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 14 में पृष्ठ संख्या 25 कम संख्या 2013000034 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक नम्बर 4 जिल्द संख्या 18 के पृष्ठ संख्या 127 से 131 पर चस्पा किया गया। जिसके पश्चात वादी प्रतिवादी नम्बर 1 का दत्तक पुत्र कानूनन वारिस हैं। वादी के दत्तक पिता स्व0 हजारीलाल एवं इनके भाईयों के मध्य एक [illegible] बनाम् बनवारीलाल वगैरह मुकदमा नम्बर 231/2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के यहां इस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती रिकार्ड का पेश किया था। उक्त वाद के विचारण के दौरान ही वादी के दत्तक पिता हजारीलाल का जो उक्त दावे मे प्रतिवादी नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:10:55 IST
Reason: SelfAttested

12/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
...पुर (नीमकाथाना)

6 थे का दिनांक 21.05.2018 को देहान्त हो गया। जिस पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 ने स्व0 हजारीलाल के वारिसान मे वादी का नाम अंकित नही करवाया तथा जो कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश किया उसमें गलत रूप से न्यायालय के समक्ष हजारीलाल के सम्पूर्ण वारिसान स्वयं को ही बताते हुये गलत रूप से न्यायालय के समक्ष हजारीलाल के सम्पूर्ण वारिसान स्वयं को ही बताते हुये गलत रूप से प्रार्थना पत्र पेश कर वादी को पक्षकार नही बनाया तथा सभी पक्षकारो द्वारा दिनांक 05.10. 2021 को जरिये राजीनामा उक्त वादपत्र मालीराम बनाम् बनवारीलाल वगैरह को डिक्री करवाते हुये उक्त डिक्री के आधार पर अपना नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा लिया, जो दिनांक 04.12.2022 को स्वीकार हुआ हैं। उक्त डिक्री में वादी के दत्तक पिता के नाम 1/3 हिस्सा की खातेदारी जरिये राजीनामा अंकित हो गयी। वादी जब पटवारी से मिला अपना खाता खुलवाने हेतु कहा तब वादी को जानकारी हुई की प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 ने साज एवं षडयंत्र कर वादी के नाम से नामान्तकरण नही खुलवाया तथा वादी का दत्तक पुत्र के रूप में वादी का नाम दर्ज नही करवाया, ना ही नामान्तकरण खुलवाया। उक्त भूमि पर वादी अपने नाना के जीवनकाल से काबिज काश्त चला आ रहा है और वर्तमान में फसल काश्त कर रखी हैं। इस प्रकार वादी निरन्तर रूप से काबिज काश्त रहने के कारण एवं वादी प्रतिवादी संख्या 1 व मृत्तक खातेदार हजारीलाल का वैधानिक वारिस होने के कारण वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। वादी [illegible] लगातार बहैसियत खातेदार काश्तकार इस जमीन पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कभी कोई ताल्लुक किसी किस्म का नही रहा, ना ही वर्तमान में कोई ताल्लुक है, ना ही इनका कभी कोई कब्जा काश्त रहा, ना ही वर्तमान में कब्जा काश्त हैं। वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:10:55 IST
Reason: SelfAttested

12/10/23 (दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

के पिता का स्वर्गवास होने के बाद वादी ही उक्त वर्णित भूमि पर काबिज चला आ रहा हैं। जिससे वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। प्रतिवादीगण एवं इनके बुजुर्गान ने वादी के कब्जा काश्त में कोई मजाहमत किसी प्रकार से नही की हैं। उक्त वर्णित जमीनों की खातेदारी अपने नाम अंकित करवाने का अधिकारी हैं। वादी को बतौर हजारीलाल के दतत्क पुत्र के जरिये खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। इसलिये वादी को खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी रिकार्ड वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के नाम दुरूस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक व न्यायोचित हैं। प्रतिवादीगण मंशा की पूर्ति हेतु दिनांक 10.06.2023 को एक साथ एकराय होकर आये तथा कहा कि हम उक्त भूमियो को दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगो को बैचान करेगे व तुम्हे उक्त भूमि से बेदखल करेगे। जिसका प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। प्रतिवादीगण, वादी को उसकी भूमि को दीगर को बैचान कर देगे या अन्तरण कर देगें, तो वादी पूर्णरूपेण बर्बाद हो जावेगे। जिससे वादी को अकथनीय क्षति होगी तथा जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। प्रतिवादीगण की इस गलत व अवैध व मनमानी कार्यवाही को वादी जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी हैं तथा न्यायहित में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हैं। इसलिये उक्त वादपत्र पेश किया जा रहा हैं। बिनाया दावा दिनांक 10.06.2023 को प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वर्णित भूमियों की खातेदारी दर्ज करने से इन्कार होने एवं कानूनहीनता की स्थिति पैदा करके दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगों को बैचान करने एवं भूमि को खुर्द-बुर्द करने की धमकीया देने के कारण पैदा हुआ हैं व लगातार हो रहा है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाया जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:10:55 IST
Reason: SelfAttested

13/10/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी

1035 रकबा 5.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 1089 रकबा 0.69 हैक्टर, खसरा नम्बर 998 रकबा 1.70 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 7.53 हैक्टर तन् ग्राम होल्याकाबास पटवार हल्का कोटडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के हिस्सा 1/12 का वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तत्प्रमाणित असरस्वरूप 1/12 भाग से प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वे कृषि भूमि खसरा नम्बर 1035 रकबा 5.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 1089 रकबा 0.69 हैक्टर, खसरा नम्बर 998 रकबा 1.70 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 7.53 हैक्टर तन् ग्राम होल्याकाबास पटवार हल्का कोटडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग को दीगर किसी को किसी भी तरह से अन्तरण नही करे, ना ही विक्रय करे, ना ही रहन रखे, ना ही वादी को बेदखल करे, ना ही स्वयं का कब्जा करे, ना ही भूमि को खुर्द–बुर्द करे, ना ही निर्माण करे, ना ही ऐसा कोई कृत्य करें या करावे जिससे वादी के विधिक हक हकूक पर कोई विपरित असर पडता हैं। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में करते हुए यह वाद वास्ते दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक/... तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या ... कानाराम पूनियां एड0 ने ईकबालीया जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या ... व 4 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई जाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादीगण संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:10:55 IST
Reason: SelfAttested

12/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

... के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी के मुख्य परीक्षण में वादी कुलदीप शर्मा का व वादी के साक्ष्य गवाह में बनवारी लाल, सतरसिंह के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये। वकील वादी ने वादपत्र में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश कर दिये जाने तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 जमाबन्दी, रजिस्टर्ड गोदनामा लेख दिनांकित 02.04.2013, नामांतकरण संख्या 522, शपथ पथ बाबत वारिसान, मृत्यु प्रमाण पत्र हजारी लाल, मुकदमा संख्या 231/2012 उनवानी प्रकरण मालीराम वगै0 बनाम बनवारी लाल वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2021 की फोटो प्रति, साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में पेश वादी व गवाहान् द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1035 रकबा 5.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 1089 रकबा 0.69 हैक्टर, खसरा नम्बर 998 रकबा 1.70 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 7.53 हैक्टर तन् ग्राम होल्याकाबास पटवार हल्का कोटडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के हिस्सा 1/9-1/9-1 ... का खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसमें वादी के प्रतिवादीगण संख्या 1 के पति व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 के पिता हजारीलाल के गोद चले जाने तथा रजिस्टर्ड गोदनामा उप पंजीयक श्रीमाधोपुर के यहाँ तस्दीक करवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:10:55 IST
Reason: SelfAttested

12/10/23 (दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

लिये जाने से खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा अपने नाम दर्ज करवाने हेतु उक्त प्रस्तुत वादपत्र का पेश किया जाना प्रकट होता है। जिसके समर्थन में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के द्वारा वादी के पक्ष में इकबालिया जवाब दावा पेश कर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाना प्रकट होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में वादी कुलदीप शर्मा का वादी साक्ष्य गवाह में बनवारी लाल, चतरसिंह के लिखितशुदा शपथ पत्रों से वादी का मौके पर कब्जा होना प्रकट होता है। वादी को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1035 रकबा 5.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 1089 रकबा 0.69 हैक्टर, खसरा नम्बर 998 रकबा 1.70 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 7.53 हैक्टर तन् ग्राम होल्याकाबास पटवार हल्का कोटडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के हिस्सा 1/12 का वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तत्प्रमाणित असरस्वरूप उक्त 1/12 [illegible] प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। [illegible] तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उक्तानुसार भूमि का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने [illegible] स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:10:55 IST
Reason: SelfAttested

12/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

के कब्जा में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे, ना ही बेदखल करे, ना ही दिगर से करावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

13/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 13.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/10/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:10:55 IST
Reason: SelfAttested